मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (सीमाकंन) नियम, 2018

(धारा 129 के अधीन निर्मित)

दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावशील

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 2-13-2018-सात-शा. 7 भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2019

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 129 के साथ पठित उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (2) के खण्ड (तीस) के साथ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 187–6477–सात–एन–(नियम) दिनांक 6 जनवरी, 1960 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 22 जनवरी, 1960 में प्रकाशित की गई थी, को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (सीमांकन) नियम, 2018, जिन्हें उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, बनाती है :–

अंतिम नियम

1. ***संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.*** –

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (सीमांकन) नियम, 2018 है।

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.** –

(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) 'संहिता' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959);

(ख) 'प्ररूप' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(ग) 'अनुसूची' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(घ) 'धारा' से अभिप्रेत है संहिता की धारा;

(ङ) 'दल नायक' से अभिप्रेत है, नियम 8 के अधीन गठित दल का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति।

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का जो कि इन नियमों में प्रयुक्त किए गए हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, तथा संहिता में परिभाषित किए गए हैं, वही अर्थ होंगे जो संहिता में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित किए गए हैं।

3. सीमांकन तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने के लिए आवेदन प्ररूप एक में किया जाएगा।

4. (1) आवेदक क्रमशः सीमांकन तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने के लिए ऐसी फीस का भुगतान करेगा जो कि कलक्टर द्वारा आयुक्त, भू–अभिलेख के अनुमोदन से समय–समय पर, विनिश्चित की जाए।

(2) नियम 7 के उपनियम (1) के अधीन भिन्न भिन्न जिलों में सीमांकन करने तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने में सहायता प्रदान करने के लिए प्राधिकृत एजेंसियों को संदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित प्रभारों के आधार पर भिन्न भिन्न जिलों के लिए भिन्न भिन्न फीस नियत की जा सकेगी।

(3) यदि आवेदक अपने स्वयं के श्रम एवं व्यय पर सीमा चिन्ह निर्मित करना चाहता है तो वह केवल सीमांकन के लिए यथा नियत फीस का भुगतान करेगा।

(4) जब तक उपनियम (1) के अधीन कलक्टर द्वारा फीस नियत नहीं की जाती तब तक आवेदक, ऐसी फीस का भुगतान करेगा जैसी कि इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व नियत की गई थी।

5. धारा 129 की उपधारा (2) के अधीन सीमांकन रिपोर्ट तहसीलदार को प्ररूप दो में प्रस्तुत की जाएगी।

6. धारा 129 की उपधारा (7) के अधीन सीमांकन रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी को प्ररूप तीन में प्रस्तुत की जाएगी।

7. (1) कलक्टर, आयुक्त, भू–अभिलेख के नियंत्रणाधीन धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन सीमांकन करने तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने में सहायता प्रदान करने के लिए एक या एक से अधिक एजेंसी को जिले के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) तहसीलदार, कलक्टर द्वारा, समय–समय पर जारी निदेशों के अनुसार उपनियम (1) के अधीन प्राधिकृत एजेंसियों में से किसी एक एजेंसी को धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन सीमांकन करने तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने में राजस्व निरीक्षक या नगर सर्वेक्षक की सहायता करने के लिए नियोजित कर सकेगा।

(3) उपखण्ड अधिकारी, कलक्टर द्वारा समय–समय पर जारी निदेशों के अनुसार उपनियम (1) के अधीन प्राधिकृत एजेंसियों में से किसी एजेंसी को धारा 129 की उपधारा (6) के अधीन सीमांकन करने तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने के लिये नियोजित कर सकेगा।

8. (1) धारा 129 की उपधारा (6) के अधीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त दल निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा–

(क) अधीक्षक, भू–अभिलेख या सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख या राजस्व निरीक्षक या नगर सर्वेक्षक--दल नायक के रूप में; और

(ख) अन्य राजस्व निरीक्षक या नगर सर्वेक्षक–दल के सदस्य के रूप में।

(2) उपखण्ड अधिकारी, यदि वह उचित समझे उपनियम (1) के अधीन गठित दल में भूमि सीमांकन में विशेषज्ञता रखने वाले एक या एक से अधिक व्यक्तियों को रख सकेगा।

9. धारा 129 की उपधारा (9) के अधीन संनिर्मित सीमा चिन्हों का माप (डायमेंशन) तथा विनिर्देश (स्पेशिफिकेशन) अनुसूची–एक के अनुसार होंगे:

परन्तु नियम 7 के उपनियम (1) के अधीन एजेंसियां अधिकृत होने तक, सीमा चिन्हों का माप (डायमेंशन) तथा विनिर्देश (स्पेशिफिकेशन) वही होंगे जो इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व विनिर्दिष्ट थे।

10. आयुक्त, भू–अभिलेख, समय समय पर, धारा 129 की उपधारा (9) के अधीन सीमांकन करने तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने के लिए तकनीकी अनुदेश जारी कर सकेगा।

11. यदि कोई व्यक्ति, विधिपूर्वक संनिर्मित किए गए किसी सीमा चिन्हों या सर्वेक्षण चिन्हों को जानबूझकर विनष्ट करता है या क्षति पहुंचाता है या विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना हटाता है तो वह संहिता की धारा 130 के अधीन शास्ति के लिए दायी होगा।

अनुसूची—एक

सीमा चिन्हों के विनिर्देश (स्पेसिफिकेशन)

(नियम 9 देखिए)

1. सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक, या भू–खण्ड संख्यांक की पहचान को सुगम बनाने के लिए नीचे सारणी में दिये गये विनिर्देश (स्पेसिफिकेशन) की प्रापर्टी पिनें सीमा चिन्हों के रूप में लगाई जा सकेंगी।

2. भूमि की सीमा दर्शाने के लिए कम से कम 4 प्रापर्टी पिनें लगाई जाएंगी जिनमें से 2 पिनें टाईप–1 की होंगी।

3. जहां टाईप–1 या टाईप–2 की पिनों का उपयोग संभव नहीं है वहां टाईप–3 की पिनों का उपयोग किया जा सकेगा।

4. भूमि की सीमा के घुमावों तथा मोड़ों पर उतनी संख्या में प्रापर्टी पिनें लगाई जाएंगी जितनी कि सीमा को दर्शाने के लिए आवश्यक समझी जाएं।

5. सीमा चिन्हों की दृश्यता को बढ़ाने के लिए आवेदक के अनुरोध पर प्रापर्टी पिन कैप का उपयोग किया जा सकेगा।

6. प्रापर्टी पिनों और प्रापर्टी पिन कैपों को क्रय करने तथा लगाने के खर्चे आवेदक द्वारा वहन किए जाएंगे। आवेदक पिनों तथा कैपों को उपार्जित करने तथा लगाने के क्रम में, कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट एजेंसी का या किसी अन्य स्रोत का चयन कर सकेगा।

7. आयुक्त, भू–अभिलेख, समय–समय पर, प्रापर्टी पिनों के उपयोग के संबंध में निदेश जारी कर सकेगा।

604

सारणी
(नियम 9 देखिए)
सीमांकन में सीमा चिन्हों के उपयोग के विनिर्देश (स्पेशिफिकेशन)

सरल कमांक	सीमा चिन्ह का प्रकार	विनिर्देश (स्पेशिफिकेशन)	आरेख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रापर्टी पिन टाइप–1	(1) गैलवनाइज्ड स्टील कोटिंग के साथ माइल्ड स्टील बार (2) माप (डायमेंशन)– (क) व्यास– 2.5 सेंटीमीटर (ख) लम्बाई– 90 सेंटीमीटर (ग) ऊपरी सिरा चपटा तथा 5 सेंटीमीटर व्यास का शंक्वाकार हो। (घ) पिन का निचला हिस्सा नुकीला किया हो (3) सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लॉक संख्यांक या भू–खण्ड संख्यांक जैसी स्थिति हो, की सीमा पर पिन भूतल पर उर्द्धरूप से ठोकी जाएगी, जिसका 10 सेंटीमीटर सिरा भूतल के ऊपर रहेगा। (4) जहां बागड़ या दीवार बनाई जाना है, भूतल से ऊपर प्रापर्टी पिन की ऊंचाई बढ़ाई जा सकेगी और पिन बागड़ या दीवार का भाग होगी। (5) आवेदक, पिन को भूतल पर लगाने के लिए सीमेंट, कॉन्क्रीट या अन्य उपयुक्त सामग्री का उपयोग अपने खर्चे पर कर सकेगा।	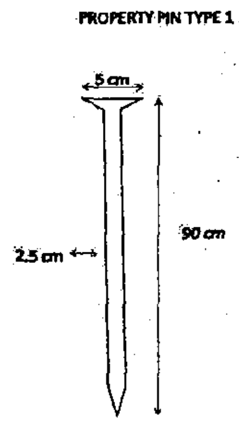

2.	प्रापर्टी पिन टाइप–2	(1) गैलवनाइज्ड स्टील कोटिंग के साथ माइल्ड स्टील बार (2) माप (डायमेंशन)– (क) व्यास– 1.6 सेंटीमीटर (ख) लम्बाई–60 सेंटीमीटर (ग) ऊपरी सिरा चपटा तथा 5 सेंटीमीटर व्यास का शंक्वाकार हो। (घ) पिन का निचला हिस्सा नुकीला किया हो (3) सर्वे संख्यांक, ब्लॉक संख्यांक या भू–खण्ड संख्यांक जैसी स्थिति हो, की सीमा पर पिन भूतल पर उर्द्धरूप से ठोकी जाएगी, जिसका 10 से.मी. सिरा भूतल के ऊपर रहेगा। (4) जहां बागड़ या दीवार बनाई जाना है, भूतल से ऊपर प्रापर्टी की ऊंचाई बढ़ाई जा सकेगी और पिन बागड़ या दीवार का भाग होगी। (5) आ[illegible] पिन को भूतल पर लगाने के लिए सीमेंट, कॉन्क्रीट या अन्य उपयुक्त सामग्री का उपयोग अपने खर्चे पर कर सकेगा।	PROPERTY PIN TYPE 2 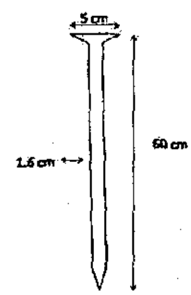
3.	प्रापर्टी पिन टाइप–3	(1) 60 सेंटीमीटर X15 सेंटीमीटर X15 से.मी. माप का रीइनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट (आर.सी.सी) स्तंभ या पत्थर का स्तंभ। (2) स्तंभ का जमीन के भीतर प्लेन सीमेंट के साथ गाड़ा जाएगा। (3) स्तंभ का 10 सेंटीमीटर ऊपरी सिरा भूतल के ऊपर रहेगा।	PROPERTY PILLAR 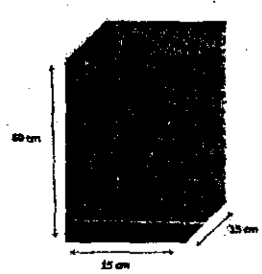
4.	प्रापर्टी पिन कैप	(1) 15 सेंटीमीटर X 15 सेंटीमीटर X 10 सेंटीमीटर प्लेन सीमेंट कांक्रीट या पत्थर के ब्लॉक जिसके बीच में 3 सेंटीमीटर व्यास का बेलनाकार छेद होगा। (2) जहां प्रापर्टी पिन को लगाया जाना है, उस स्थान पर पिन को कैप के बीच के छिद्र में से भूतल पर ठोका जाएगा।	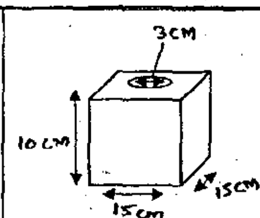

60

प्ररूप—एक

(नियम 3 देखिए)

सीमांकन तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने के लिए आवेदन

प्रति,

तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसील..................

जिला....................म.प्र.

मैं/हम...........................एतद्द्वारा, नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार भूमि का सीमांकन के लिए निवेदन करता हूँ/करते हैं

और/या

मैं/हम...........................एतद्द्वारा, नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार भूमि की सीमांकन तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने के लिए निवेदन करता हूँ/करते हैं :

1. आवेदक का विवरण

अनुकमांक	नाम तथा पता	पिता/माता/पति/संरक्षक का नाम	मोबाइल/फोन नम्बर	अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य	पहचान दस्तावेज का विवरण तथा संख्यांक	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						

2. सीमांकित की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला.......................तहसील.....................राजस्व निरीक्षक वृत्त.......................

पटवारी हल्का /सेक्टर कमांक.................. ग्राम / नगरीय क्षेत्र..................

607

अनुक्रमांक	सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक/ भू–खण्ड संख्यांक	क्षेत्रफल (हैक्टर/ वर्गमीटर में)	धारकों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			

3. लगी हुई भूमि के धारकों का विवरण

अनुक्रमांक	सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक/ भू–खण्ड संख्यांक	धारक का नाम	पिता/माता/पति/ संरक्षक का नाम	पूर्ण पता	मोबाइल/फोन नम्बर (यदि ज्ञात हो)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					

* 4. जमा की गई फीस के ब्यौरे

(रूपयों में)

सरल कमांक	जमा की गई फीस के विवरण	राशि	जमा की गई फीस की रसीद के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सीमांकन के लिए		
2.	सीमा चिन्हों के संनिर्माण के लिए		
	योग अंकों में शब्दों में		

* यदि आवेदक सीमा चिन्हों का संनिर्माण स्वयं के खर्चे एवं श्रम से करना चाहता है तो उ‍ केवल सीमांकन के लिए नियत फीस का भुगतान करना होगा ।

609

घोषणा

मैं / हम .... पुत्र /पुत्री /पति ....पता (पूर्ण पता मोबाइल नम्बर सहित) ....एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ/ हैं कि मेरे /हमारे द्वारा दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य एवं सही है तथा मेरे / हमारे द्वारा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है। मैं / हम यह भी समझते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य होने की दशा में मेरे / हमारे विरूद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकेगी।

दिनांक ....
स्थान ....

हस्ताक्षर
नाम...........................
आवेदक/आवेदकगण

आवश्यक संलग्नक :

1. खसरे की प्रति
2. सीमांकित किए जाने वाले सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लाक संख्यांक/भू–खण्ड संख्यांक के नक्शे की प्रति जिसमें लगे हुए सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भू–खण्ड संख्यांक सम्मिलित है
3. फीस की रसीद की प्रति

609

प्ररूप–दो
(नियम 5 देखिए)
राजस्व निरीक्षक/नगर सर्वेक्षक की सीमांकन रिपोर्ट

राजस्व प्रकरण क्रमांक..................

समक्ष में न्यायालय तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार ....
तहसील................जिला..................मध्यप्रदेश

सीमांकन रिपोर्ट दिनांक...................

आपके आदेश दिनांक ....के अनुपालन में आवेदक ....द्वारा धारित पटवारी हल्का कमांक/सेक्टर कमांक......................... ग्राम/नगरीय क्षेत्र ....में स्थित सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भू–खण्ड संख्यांक..............................के सीमांकन की रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. सीमांकन किये जाने का दिनांक.......................

2. *सीमांकन शुरू होने का समय ....सीमांकन समाप्त होने का समय............*

3. हितबद्ध पक्षकारों को दिए गए सीमांकन के नोटिस का विवरण

अनुक्रमांक	नाम	नोटिस की तामीली का प्रकार तथा दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		

4. पक्षकारों का विवरण जिन्हें नोटिस तामील नहीं हो सका

अनुक्रमांक	नाम	नोटिस की तामील न होने के कारण
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		

610

5. सीमांकन के दौरान उपस्थित अधिकारियों तथा पक्षकारों के नाम

अनुक्रमांक	नाम	पदनाम / पक्षकार
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		

6. सीमांकन के बाद संनिर्मित किये गये सीमा चिन्हों के टाईप तथा उनकी संख्या..

7. भूमि या उसके भाग पर आवेदक से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे का विवरण (रिपोर्ट के साथ नक्शे में लाल स्याही से चिन्हित किया जाए)

अनुक्रमांक	नाम	क्षेत्रफल(हैक्टर में / वर्गमीटर में)	ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			

8. सीमांकन के दौरान उठाई गई आपत्तियों के विवरण तथा उन पर विनिश्चय

अनुक्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम	संक्षिप्त में आपत्तियां	आपत्तियों पर विनिश्चय
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			

611

9. 'पंचनामा' में हस्ताक्षर करने से इंकार करने वाले व्यक्तियों के विवरण

अनुक्रमांक	नाम	इंकार करने का कारण
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		

10. यदि सीमांकन नहीं किया जा सका हो, तो कारण अभिलिखित किये जाएं..................
....

11. राजस्व निरीक्षक/नगर सर्वेक्षक की टिप्पणियां ....
....
....
....

दिनांक............ हस्ताक्षर..................

स्थान............. नाम..................

राजस्व निरीक्षक/नगर सर्वेक्षक

संलग्नक–

1. हितबद्ध पक्षकारों पर तामील किए गए नोटिस की प्रतियां
2. बिना तामील हुए नोटिस मूल में (यदि कोई हो)
3. पंचनामा
4. क्षेत्र पुस्तिका (फील्ड–बुक)
5. नक्शा
6. अन्य.................

615

प्ररूप–तीन
(नियम 6 देखिए)
सीमांकन दल की रिपोर्ट

राजस्व प्रकरण क्रमांक..................

समक्ष में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड ....तहसील............................
जिला................मध्यप्रदेश

सीमांकन रिपोर्ट दिनांक...................

आपके आदेश दिनांक ....के अनुपालन में आवेदक ....द्वारा धारित पटवारी हल्का कमांक/सेक्टर कमांक......................... ग्राम/नगरीय क्षेत्र ....में स्थित सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भू–खण्ड संख्यांक के सीमांकन की रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. सीमांकन किये जाने का दिनांक.......................
2. सीमांकन शुरू होने का समय ....सीमांकन समाप्त होने का समय...........
3. हितबद्ध पक्षकारों को दिए गए सीमांकन के नोटिस का विवरण

अनुक्रमांक	नाम	नोटिस की तामीली का प्रकार तथा दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		

4. पक्षकारों के विवरण जिन्हें नोटिस तामील नहीं हो सका

अनुक्रमांक	नाम	नोटिस की तामील न होने के कारण
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		

613

5. सीमांकन के दौरान उपस्थित अधिकारियों तथा पक्षकारों के नाम

अनुक्रमांक	नाम	पदनाम/पक्षकार
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		

6. सीमांकन के बाद संनिर्मित किये गए हैं सीमा चिन्हों के टाईप तथा उनकी संख्या...............................

7. भूमि या उसके भाग पर आवेदक से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे का विवरण (रिपोर्ट के साथ नक्शे में लाल स्याही से चिन्हित किया जाए)

अनुक्रमांक	नाम	क्षेत्रफल(हैक्टर में/वर्गमीटर में)	ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			

8. सीमांकन के दौरान उठाई गई आपत्तियों के विवरण तथा उन पर विनिश्चय

अनुक्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम	संक्षिप्त में आपत्तियां	आपत्तियों पर विनिश्चय
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			

9. 'पंचनामा' में हस्ताक्षर करने से इन्कार करने वाले व्यक्तियों के विवरण

अनुक्रमांक	नाम	इंकार करने का कारण
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		

10. यदि सीमांकन नहीं किया जा सका हो, तो कारण अभिलिखित किये जाएं..................

11. राजस्व निरीक्षक/नगर सर्वेक्षक द्वारा पूर्व में किए गए सीमांकन दिनांक.................. से भिन्नता ....

12. दल नायक की टीप ....

दिनांक............ हस्ताक्षर.................

स्थान............. नाम.................

दल नायक तथा दल के सभी अन्य सदस्य

संलग्न :

1. हितबद्ध पक्षकारों पर तामील किए गए नोटिस की प्रतियां
2. बिना तामील हुए नोटिस मूल में (यदि कोई हों)
3. पंचनामा
4. क्षेत्र पुस्तिका (फील्ड-बुक)
5. नक्शा
6. अन्य.................

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2019

क्रमांक एफ 2-13-2018-सात-शा. 7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 2-13-2018-सात-शा. 7, दिनांक 28 जनवरी 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

No. F-2-13-2018-VII-Se. 7 Bhopal, the 28th January 2019

In exercise of the powers conferred by clause (xxx) of sub-section (2) of section 258 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No 20 of 1959) read with section 129 of the said Code and in supersession of this Department's notification number *187-6477-VII-N-(Rules) dated 6th* January, 1960, published in the Madhya Pradesh Rajpatra, dated 22nd January, 1960, the State Government, hereby, makes the Madhya Pradesh Bhu-Rajasv Sanhita (Seemankan) Niyam, 2018, the same have been previously published, as required by sub-section (3) of section 258 of the said Code, namely:-

FINAL RULES

1. Short title and commencement.-

(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Bhu-Rajasava Sanhita (Seemankan) Niyam, 2018.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions.-

(1) In these rules unless the context otherwise requires,-

(a) 'Code' means the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No 20 of 1959);

(b) 'Form' means the forms appended to these rules;

(c) 'Schedule' means schedule appended to these rules;

(d) 'Section' means section of the Code;

(e) 'Team leader' means the person leading the team constituted under rule 8.

(2) The words and expressions used in these rules but not defined and have been defined in the Code, shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Code.

3. The application for demarcation and construction of boundary marks shall be made in Form I.

4. (1) The applicant shall pay such fees as may be fixed by the Collector from time to time, with the approval of the Commissioner Land Records for demarcation and construction of boundary marks respectively.

(2) Different fees may be fixed for different districts depending on the charges required to be paid to the agencies authorised to render assistance in carrying out demarcation and construction of boundary marks in the different districts under sub-rule (1) of rule 7.

(3) If the applicant wishes to construct the boundary marks at his own expenses and labour he shall pay fee as fixed for demarcation only.

(4) Till the fee is fixed by the Collector under sub-rule (1), the applicant shall pay the fee fixed immediately prior to the commencement of these rules.

5. The demarcation report under sub-section (2) of section 129 shall be submitted to the Tahsildar in Form II.

6. The demarcation report under sub-section (7) of section 129 shall be submitted to the Sub-Divisional Officer in Form III.

2

7. (1) The Collector, under sub - section (3) of section 129, under the control of Commissioner Land Records, may authorize one or more agency for the district to render assistance in carrying out demarcation and construction of boundary marks.

(2) The Tahsildar may, in accordance with the directions issued by the Collector from time to time engage any one of the agencies authorised under sub-rule (1) to assist Revenue Inspector or Nagar Sarvekshak in carrying out demarcation and construction of boundary marks under sub-section (3) of Section 129.

(3) The Sub-Divisional Officer may, in accordance with the directions issued by the Collector, from time to time, engage any of the agency authorised under sub-rule (1) to carry out demarcation and construction of boundary marks under sub-section (6) of section 129.

8. (1) The team deputed by the Sub-Divisional Officer under sub-section (6) of section 129 shall consist of following persons –

(a) Superintendent of Land Records or Assistant Superintendent of Land Records or Revenue Inspector or Nagar Sarvekshak-as Team Leader; and

(b) any other Revenue Inspector or Nagar Sarvekshak-as a member of the team.

(2) The Sub-Divisional Officer may, if he thinks fit, add one or more persons having expertise in demarcation of land in the team constituted under sub-rule (1).

9. The dimensions and specifications of boundary marks constructed under sub-section (9) of section 129 shall be as per Schedule-I:

Provided that till the authorization of the agencies under sub-rule (1) of rule 7, the dimensions and specifications of boundary marks shall be the same as specified immediately prior to the commencement of these rules.

10. The Commissioner Land Records may from time to time issue technical instructions for carrying out demarcation and construction of boundary marks under sub-section (9) of section 129.

11. If any person willfully destroys or damages or removes without lawful authority any boundary or survey marks constructed lawfully he may be liable for penalty under section 130 of the Code.

SCHEDULE-I

Specifications of boundary marks

(See Rule 9)

1. Property pins of the specifications given in the Table below may be fixed as boundary marks to facilitate identification of the boundaries of a survey number, block number or plot number.

2. At least four property pins shall be used to delineate the boundaries of the land of which at least two pins shall be of Type 1.

3. Where it is not possible to use Type 1 or Type 2 pins, Type 3 pins may be used.

4. On the curvatures and bends of the boundary of land as many property pins shall be fixed as may be deemed necessary to define the boundary.

5. To increase the visibility of boundary marks property pin caps may be used at the request of the applicant.

6. The expenses of purchasing and fixing property pins and property pin caps shall be borne by the applicant. In order to procure and fix the pins and caps, the applicant may choose the agency designated by the Collector or any other source.

7. The Commissioner Land Records may, from time to time, issue directions regarding use of property pins.

Table

[see rule 9]
Specifications for boundary marks used in demarcation

S.No	Type of Boundary Mark	Specifications	Diagram
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Property Pin –Type 1	(1) Mild Steel bar with a coating of galvanized steel. (2) Dimensions:- (a) Diameter – 2.5 cm (b) Length – 90 cm (c) Conical Head of 5 cm diameter which is flat at the top (d) Bottom end of the pin tapers to a sharp point (3) The pin shall be inserted vertically into the ground on the border of the survey number, block number or plot number, as the case may be, leaving 10 cm of the pin above the ground. *(4) Where a fence or wall is to be* constructed, the height of the property pin above the ground may be increased and the pin be made a part of the wall or fence. (5) The applicant may at his own expenses use cement concrete or other suitable material to fix the pin to the ground.	PROPERTY PIN TYPE 1 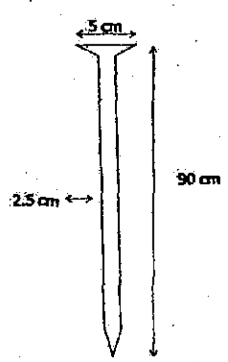

620

2.	Property Pin–Type-2	(1) Mild Steel bar with a coating of galvanized steel. (2) Dimensions:- (a) Diameter – 1.6 cm (b) Length – 60 cm (c) Conical Head of 5 cm diameter which is flat at the top (d) Bottom end of the pin tapers to a sharp point (3) The pin shall be inserted vertically into the ground on the border of the survey number, block number or plot number, as the case may be, leaving 10 cm of the pin above the ground. (4) Where a fence or wall is to be constructed, the height of the property pin above the ground may be increased and the pin be made a part of the wall or fence. (5) The applicant may at his own expenses use cement concrete or other suitable material to fix the pin to the ground.	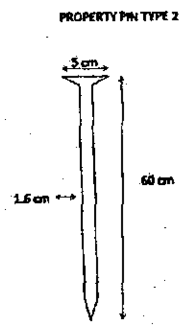
3.	Property Pin- Type - 3	(1) Reinforced Cement Concrete (RCC) pillar or stone pillar of dimensions 60 cm x 15 cm x 15 cm (2) The pillar shall be inserted into the ground with plain cement concrete (PCC). (3) Top 10 cm end of the pillar shall be above the ground.	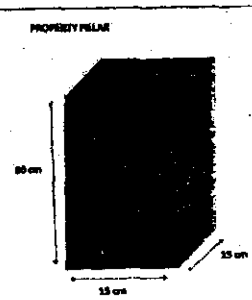
4.	Property Pin cap	(1) Plain cement concrete block or stone block of dimensions 15 cm x 15 cm x 10 cm with a hole of 3 cm diameter in centre. (2) The pin cap shall be placed on the ground at a point where a Property Pin is to be fixed and the pin shall be inserted into the ground through the hole of the cap.	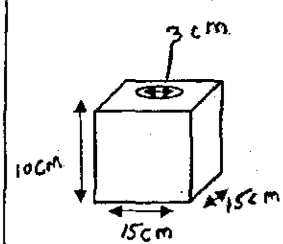

FORM-I

[see rule 3]

APPLICATION FOR DEMARCATION AND CONSTRUCTION OF BOUNDARY MARKS

To,

Tahsildar/Additional Tahsildar/Naib Tahsildar.................
Tahsil.....................
District...................................M.P.

I/we.., hereby, request for demarcation of land as per the particulars given below:

and/or

I/We ...., hereby, request for construction of the boundary marks as per the particulars given below:

1. Particulars of the applicant

S. No	Name and Address	Name of Father/ Mother/ Husband/ Guardian	Mobile/ Phone number	Scheduled Tribe/Scheduled Caste/ Other	Description and number of identity document	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						

2. Particulars of land to be demarcated

District........................Tahsil..........................Revenue Inspector Circle..................
Patwari Halka No./Sector No. ....Village/Urban Area............................

S.No.	Survey No./Block No./Plot No.	Area (in hectare/sq.mtr.)	Name of the holder
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			

622

3. Particulars of holders of adjoining lands

S. No	Survey No./Block No./Plot No.	Name of holder	Name of Father/Mother/ Husband /Guardian	Full address	Mobile/ Phone number (if known)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					

*4. Details of fee deposited

(in Rupees)

S.No.	Particular of fee deposited	Amount	Details of receipt of fees
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	For demarcation		
2.	For construction of boundary marks		
	Total in figures in words		

* If the applicant wishes to construct boundary marks at his own expenses and labour he shall pay fee fixed for demarcation only.

Declaration

I/we..Son of/Daughter of/Husband of ....address (full address with mobile phone No.)..., hereby, declares that the information given by me/us is true and correct to the best of my/our knowledge and nothing has been concealed by me/us. I/we also understand that in case of incorrect information submitted by me/us, legal action may be taken against me/us.

Date......................
Place.....................

Signature
Name..................
Applicant(s)

Essential enclosure

1. Copy of Khasra
2. Copy of Map of Survey No./Block No./Plot No. to be demarcated including adjoining Survey No./Block No./Plot No.
3. Copy of receipt of fee.

FORM-II
[see rule 5]

DEMARCATION REPORT OF REVENUE INSPECTOR/NAGAR SARVEKSHAK

Revenue Case No............................

The Court of Tahsildar/Additional Tahsildar/Naib Tahsildar................
Tahsil...................District............................M.P

Demarcation Report dated..

In compliance to your order dated ....report of the demarcation of Survey No./Block No./Plot No..................situated in village/urban area.................Patwari halka No./Sector No....................belonging to the applicant ....is submitted as below:

1. Date of carrying out the demarcation..

2. Start time of demarcation......................End time of demarcation.........................

3. Particulars of notice of demarcation given to interested parties

S.No	Name	Date and mode of service of notice
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		

4. Particulars of parties whom notice could not be served

S.No	Name	Reasons for non-service of notices
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		

5. Names of officials and parties present during the demarcation

S.No	Name	Designation/Party
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		

624

6. Types and number of boundary marks constructed, if any, after demarcation ....

7. Particulars of possession of any person other than applicant over the land or part thereof (to be marked in red ink in the map to be attached with the report)

S.No	Name	Area (in hect./sq.mtr.)	Details
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			

8. Particulars of objections raised during demarcation and decisions thereon

S.No	Name of objector	Objection in brief	Decision on objections
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			

9. Particulars of persons refusing to sign the 'Panchanama'

S.No	Name	Reasons for refusal
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		

10. If demarcation could not be done, reasons to be recorded.......................................

11. Comments of Revenue Inspector/Nagar Sarvekshak..
....
....
....

Date................
Place..............

Signature
Name....................................
Revenue Inspector/Nagar Sarvekshak

Enclosures-
1. Copies of notices served on interested parties
2. Unserved notices in original (if any)
3. Panchanama
4. Field Book
5. Map
6. Others ....

625

FORM-III
[see rule 6]

REPORT OF DEMARCATION TEAM

Revenue Case No.............................

The Court of Sub-Divisional Officer, Sub-Division.................
Tahsil...................District.............................M.P

Demarcation Report dated..

In compliance to your order dated ....report of the demarcation of Survey No./Block No./Plot No...................situated in village/urban area.................Patwari halka No./Sector No.....................belonging to the applicant ....is submitted as below:-

1. Date of carrying out the demarcation...

2. Start time of demarcation.............................End time of demarcation..................

3. Particulars of notice of demarcation given to interested parties

S.No	Name	Date and mode of service of notice
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		

4. Particulars of parties whom notice could not be served

S.No	Name	Reasons for non-service of notices
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		

5. Names of officials and parties present during the demarcation

S.No	Name	Designation /party
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		

626

6. Types and number of boundary marks constructed, if any, after demarcation ....

7. Particulars of possession of any person other than applicant over the land or part thereof (to be marked in red ink in the map to be attached with the report)

S.No	Name	Area (in hect./sq.mtr.)	Details
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			

8. Particulars of objections raised during demarcation and decisions thereon

S.No	Name of objector	Objections in brief	Decisions on objections
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			

9. Particulars of persons refusing to sign the 'Panchanama'

S.No	Name	Reasons for refusal
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		

10. If demarcation could not be done, reasons to be recorded....................................

11. Difference from the previous demarcation done by the Revenue Inspector/Nagar Sarvekshak on........................(date)

....

12. Comments of Team Leader

....

....

Date................ Signature

Place............... Names.....................................

Team Leader and other Members of the Team

Enclosures-

1. Copies of notices served on interested parties
2. Un-served notices in original (if any)
3. Panchanama
4. Field Book
5. Map
6. Others ....

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

MUJEEBUR REHMAN KHAN, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.

627